19.08.2026

इस न्यायालय के समक्ष लंबित आर.सी.टी. क्रमांक 1314/2024 म.प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना फिजीकल विरूद्ध मुकेश आदि में न्यायालयीन आदेश दिनांक 19.08.2026 के अनुरूप यह विविध आपराधिक की कार्यवाही पंजीबद्ध की गई।

उक्त प्रकरण के अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त मुकेश बाथम पुत्र मुन्नालाल बाथम उम्र 36 वर्ष, निवासी बाथम मोहल्ला करोंदी कॉलोनी शिवपुरी म.प्र. ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.11.2024 को इस आशय का बंधपत्र निष्पादित किया था कि वह उक्त प्रकरण की प्रत्येक पेशी दिनांक पर प्रकरण का अंतिम निराकरण होने तक हाजिर रहेगा और यदि प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया तो बंधपत्र के 10,000/– रूपये उससे या उसकी चल व अचल संपत्ति से वसूली किये जा सकेंगे।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त उक्त बंधपत्र की उक्त शर्त का उल्लघन करते हुये नियत दिनांक 20.11.2025 को न्यायालय के समक्ष बिना किसी दर्शित कारण के अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण उसके विरूद्ध उसकी उपस्थिति के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के संबंध में निष्पादित बंधपत्र दिनांक 21.11.2024 की शर्तों का उल्लंघन किया है और बंधपत्र समहृत हो चुका है। अतः उक्त संबंध में अभियुक्त को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया कि क्यों न उससे बंधपत्र की संपूर्ण राशि 10,000/– रूपये वसूली की जाये।

प्रकरण अभियुक्त द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जबाव हेतु कुछ समय पश्चात प्रस्तुत हो।

सही/–
(धर्मवीर सिंह राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
शिवपुरी, जिला शिवपुरी म0प्र0

पुनश्चः–

अभियुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जबाव हेतु नियत है।

अभियुक्त ने उक्त कारण बताओं सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया कि वह मजदूरी करने चला गया था और अपने अभिभाषक को सूचना नहीं दे पाया था और न्यायालय में विलंब से आया जिस कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सका था और उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। यह उसकी भूल होकर क्षमा योग्य है। अतः अभियुक्त ने बंधपत्र की राशि में से कम से कम राशि अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया है।

इस संबंध में अभियुक्त का परीक्षण लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त को सुना गया।

अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के संबंध में 10,000/–रूपये का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया किंतु अनुपस्थिति का दर्शित कारण मजदूरी करने बाहर जाना एवं भूल होना बताया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में

विलंब से आना और न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण बताया गया कारण प्रथमदृष्टया सद्भाविक होना प्रकट होता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को 500/—रूपये की शास्ति से दंडित किया जाता है।

प्रकरण अभियुक्त द्वारा शास्ति की राशि जमा करने हेतु कुछ समय पश्चात प्रस्तुत हो।

सही/—
(धर्मवीर सिंह राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
शिवपुरी, जिला शिवपुरी म0प्र0

पुनश्चः—

अभियुक्त ने बंधपत्र के समपहृत की शास्ति की राशि 500/— रूपये ऑनलाईन रसीद क्रमांक यू.आर. नंबर एम.पी.टी.यू. आर.एन. **190820260005771** एवं चालान क्रमांक **023793** पर जमा की। रसीद की प्रति अभियुक्त को प्रदान की गयी, पावती ली गई। शेष रसीद प्रकरण में संलग्न की गई।

कोई कार्यवाही शेष न होने से हस्तगत विविध आपराधिक प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण विधिवत अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/—
(धर्मवीर सिंह राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
शिवपुरी, जिला शिवपुरी म0प्र0

DHARMVEER SINGH RATHOR

Digitally signed by DHARMVEER SINGH RATHOR
Date: 2026.08.19 17:22:57 +0530